UPET010003992008

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस 0 टी0 संख्या–280/2008

उ०प्र० राज्य

-----अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1– कृपाल सिंह पुत्र हरसहाय **--------(मृतक–दौरान–विचारण)**
2– शहजादे पुत्र बाबूराम
3– जितेन्द्र पुत्र शहजादे
4– अमर सिंह पुत्र नेकराम **--------(मृतक–दौरान–विचारण)**
5– रनवीर पुत्र नेकराम
6– कृष्णलाल पुत्र रामसनेही
निवासीगण– फर्दपुरा, थाना अलीगंज, जिला एटा।

----------अभियुक्तगण

अपराध संख्या–556/2007
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–अलीगंज, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस 0 टी0 संख्या	280/2008
अपराध संख्या	556/2007
धारा	2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	अलीगंज
अभियुक्त	शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर एवं कृष्णलाल
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री आयुष भारद्वाज, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	12.07.2007
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–73/2008, दिनांक 24.04.2008
प्रसंज्ञान की तिथि	15.07.2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	25.02.2009
निर्णय की तिथि	02.06.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.06.02 13:08:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

–निर्णय–

1– जी०एस०टी० संख्या–280/2008, राज्य बनाम कृपाल सिंह आदि, अ०सं०–556/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना अलीगंज, जिला एटा में अभियुक्तगण शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर एवं कृष्णलाल का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह, थाना अलीगंज ने दिनांक 12.07.2007 को जुबानी सूचना थाना अलीगंज, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

दिनांक 12.07.2007 को वह प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह मय हमराही कां० 696 राजेश कुमार व कां० 168 राजवीर सिंह मय जीप सरकारी UP82G2644 चालक राम सिंह के थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 16, समय 08:30 बजे रवाना होकर विनावर तफ्तीश व तलाश वांछित अपराधी व देख–रेख ग्राम फर्दपुरा आया तो मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,302,307 भा०दं०सं० का वादी राम आसरे पुत्र रामसरन निवासी फर्दपुरा, थाना अलीगंज एटा मिला और बताया कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र हरसहाय, शहजादे पुत्र बाबूराम, जितेन्द्र पुत्र शहजादे व अमर सिंह पुत्र नेकराम, रनवीर पुत्र नेकराम, कृष्णलाल पुत्र रामसनेही निवासीगण ग्राम फर्दपुरा, थाना अलीगंज, जिला एटा जो जिला जेल एटा में निरुद्ध है और उनसे मिलाई करने जाने वाले व्यक्तियों से खबर भिजवाते है कि राम आसरे साले से कह देना कि मुकदमा में फैसला कर ले और जो मुकदमा में पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसा को भी भिजवा दे, नहीं तो जेल से आने के बाद इसका परिणाम खराब होगा और खून खराबा कर देगे और जेल से जान से मारने की धमकी भी भेजते है। कृपाल सिंह आदि का एक सक्रिय संगठित गिरोह बना लिया है। गैंगलीडर कृपाल सिंह व उसके सदस्य शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर, कृष्णलाल आदि हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराध जनपद व जनपद के बाहर भी अपराध करने में सक्रिय है और इनका जनता में काफी भय व आतंक पैदा कर अवैध धन उपार्जन करते है। इन अपराधियों के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। आपराधिक क्रिया कलाप उ०प्र० समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधी के श्रेणी में आता है। अतः इनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों द्वारा संस्तुति लेकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एटा द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है। अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और जन मानस की जान माल की सुरक्षा हो सके।इनके द्वारा किये गये संगीन अपराधों की वजह से जनता में काफी भय व आतंक है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इन आपराधियों का जनता में स्वच्छंद रहना जनहित में नहीं है। इन अपराधियों का यह कृत्य समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्तगण का आपराधिक विवरण निम्न है–मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज, जिला एटा बनाम कृपाल सिंह, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम कृपाल सिंह, मु०अ०सं०–508/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम कृपाल सिंह, मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज बनाम शहजादे, मु०अ०सं०–512/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम शहजादे, मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज बनाम जितेन्द्र, मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज बनाम अमर सिंह, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम अमर सिंह, मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज बनाम रनवीर सिंह, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम रनवीर सिंह, मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज बनाम कृष्णलाल, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम कृष्णलाल, मु०अ०सं०–509/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम कृष्णलाल।

3– मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज, जिला एटा बनाम कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम कृपाल सिंह, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर सिंह, कृष्णलाल, मु०अ०सं०–508/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम कृपाल सिंह, मु०अ०सं०–509/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम कृष्णलाल, मु०अ०सं०–512/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम शहजादे के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ०सं०–556/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–01** दिनांक 12.07.2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0डी0 रपट नं0–25, समय 13:30 बजे, **प्रदर्श क–06** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–04** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–03**, दिनांकित 24.04.2008 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आगरा द्वारा दिनांक 15.07.2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल के विरूद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाॅ (निवारण) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 25.02.2009 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण कृपाल सिंह एवं अमर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही क्रमशः दिनांकित 25.05.2022 एवं 04.11.2017 के माध्यम से उपशमित की गयी है।

7– अभियेाजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 05 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम	विवरण
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01	प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02	सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंह भाटी	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–03	सेवानिवृत्त सी०सी० दिनेश कुमार	तत्कालीन सी०सी०
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–04	रामआसरे	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–05	रामसिंह	स्वतंत्र साक्षी

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम	प्रपत्र का नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया

सं0			है।
1	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–01 वादी प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह
2	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–01 वादी प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह
3	आरोप पत्र	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–02 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंहह भाटी
4	अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति पत्र	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–02 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंहह भाटी
5	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त सी०सी० दिनेश कुमार

प्रदर्श क–4 के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं है।

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 03.04.2026 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को झूंठा आरोप बताया तथा वे किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 के कथानक को सभी मुकदमें झूंठे है तथा वे गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमों में बरी हो चुके है। साक्षी पी०डब्लू०–02 एवं पी०डब्लू०–03 के कथानक को कुछ नहीं कहने का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू०–04 के कथानक को जिस मुकदमें का गवाह ने उल्लेख किया है वह दोषमुक्त होना बताया है। साक्षी पी०डब्लू०–05 के कथानक को झूंठा बयान देना बताया है। साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूंठा फंसाया गया है। अभियोग को प्रधानी की रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में गैंगचार्ट में वर्णित अ०सं०–543/2007 अन्तर्गत धारा 147,307/149 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज, एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–764/2007 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 24–09–2008 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 117ब/1 लगायत 117ब/7, अ०सं०–255/2007 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अ०सं०–508/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–509/2007 धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–512/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना अलीगंज, एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–53/2008 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 26–02–2011 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 117ब/8 लगायत 117ब/24 दाखिल किया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–01 वादी प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2007 को वह थाना अलीगंज जिला एटा में प्रभारी निरीक्षक तैनात था। इसी तारीख को वह तथा कां० राजेश कुमार, कां० रामवीर सिंह के वास्ते वांछित अपराधी व देखरेख गांव फर्दपुरा, सरकारी जीप से आया। मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149, 307,302 भा०दं०सं० से सम्बन्धित वादी मुकदमा मिले, उन्होने बताया हत्या करने वाले अभियुक्तगण कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर, कृष्णलाल जो कि जिला जेल एटा में निरुद्ध है, मिलायी करके वाले लोगों से यह खबर भिजवाते है कि राम आसरे साले से कह देना कि मुकदमों में फैसला कर ले जो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, उसे भिजवा देंगे, नहीं तो जेल से आने के बाद खून खराबा कर देगे। कृपाल सिंह आदि का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जिसका गैंगलीडर कृपाल सिंह है। गैंगलीडर व उसके सक्रिय सदस्य शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर, कृष्णलाल आदि है, जो कि हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराध जनपद व जनपद के बाहर भी करने में सक्रिय है। उनका जनता में काफी भय व आतंक है। जनता में अवैध धन उपार्जित करते है। इन अपराधियों के क्रियाकलापों पर अंकुश कराया जाना अति आवश्यक है। अपराध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में आता

है। अतः इनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर उच्चाधिकारी द्वारा संस्तुति कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा दिया गया था, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और जन मानस की जान माल की सुरक्षा हो सके। इनके द्वारा किये गये संगीन अपराधों की वजह से जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिखाता और गवाही देने को भी तैयार नहीं होता। अतः इनके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक इतिहास निम्न है–कृपाल सिंह मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 508/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम, शहजादे मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 512/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम, जितेन्द्र मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, अमर सिंह मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, रनवीर सिंह मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, किशनपाल मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, अपराध संख्या 508/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम। यह रिपोर्ट उसने बोल बोलकर सी०सी० दिनेश कुमार द्वारा लिखी गयी, जिसका अ०सं०–555,556 है, एफ०आई०आर0 पर प्रदर्श क–01 डाला गया। गैंगचार्ट उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर से तैयार किया, अनुमोदित कराया, जो आज उसके सामने है, कागज संख्या 5 क है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया।

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–02 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंह भाटी** परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.03.2008 को थाना नयागांव पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहे थे। अ०सं०–556/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अलीगंज की विवेचना पेंडिग मिली, विवेचना ग्रहण की। ग्रहण करने का तस्करा दिनांक 11.03.2008 को पर्चा नं0–14 में किया। दिनांक 18.03.2008 को उसने थाने पर मौजूद सियाराम का बयान अंकित किया। दिनांक 25.03.2008 को कां० राजेश कुमार, कां० राजवीर सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 01.04.2008 को कां० क्लर्क यादराम का बयान अंकित किया। दिनांक 24.04.2008 को पर्चा नं० 18 एच०सी०पी० रनवीर सिंह का बयान अंकित किया व सी०सी० कुवर सिंह भदौरिया का बयान अंकित किया। एस0आई0 हरिप्रसाद सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 24.04.2008 को ही आरोप पत्र प्रेषित किया। गवाह रामआसरे का बयान अंकित किया तथा गवाह रामसागर का बयान अंकित किया। बयान गवाह रामसिंह का बयान अंकित किया। गवाह सुरेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 09.07.2008 को अभियोजन स्वीकृति की नकल की गयी, जिसका तस्करा एस०सी०डी०–2 में की गयी। आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में अभियुक्तगण कृपाल सिंह, शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर, कृष्णलाल के विरुद्ध प्रेषित किया था, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। पत्रावली पर 3 अ संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति पत्रावली पर टाइपशुदा 6 क पत्रावली पर संलग्न है, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन एस०एस०पी० सतेन्द्र पाल सिंह ने दी थी, जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया, जिसका तस्करा एस०सी०डी०–2 में किया गया।

14– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने मुकदमा में शेष विवेचना की है। उससे पूर्व एस०ओ० नरेन्द्र सिंह ने विवेचना की थी। उसने पूर्व में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन किया था। अवलोकन के दौरान पूर्व विवेचक द्वारा मु०अ०सं० 543/2007 के वादी रामआसरे का बयान लिया था। एस०ओ० नरेन्द्र सिंह ने इस गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 20.05.2007 को हुई घटना के सम्बन्ध में बयान दिया था। अभियुक्तगण द्वारा जेल में रहने के दौरान अपने मिलाई करने वालो के द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी देने का कोई जिक्र अपने बयानों में नहीं किया। नरेन्द्र सिंह के बाद विवेचक आर०बी०एस० ने रामआसरे का बयान नहीं लिया। इन दोनों विवेचकों से पूर्व में विवेचकों ने भी उपरोक्त रामआसरे का कोई बयान नहीं लिया। उसके द्वारा की गयी विवेचना के दौरान गवाह रामआसरे का बयान लिया गया था। इस गवाह ने भी इस बयान में यह बात उसे नहीं बतायी कि मुल्जिमान जेल में रहकर अपने मिलाई करने वालों द्वारा किसी प्रकार की धमकी देने वाली बात नहीं की। इसके अलावा भी किसी

भी बयान देने वाले व्यक्तियों ने धमकी की बात नहीं बतायी। उसने विवेचना के दौरान गैंगचार्ट का अवलोकन किया। गैंगचार्ट में अभियुक्त शहजादे पर केवल धारा 302 भा०दं०सं० व आयुध अधिनियम का एक–एक मुकदमा दर्ज है। उसे यह जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट में दर्शायी गयी अपराधों में अभियुक्तगण के मुकदमें छूट गये अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि उच्चअधिकारियों के दबाव में आकर अपराध से सम्बन्धित सक्षम न होते हुए भी गलत आरोप पत्र लगाये है। अभियोजन स्वीकृत टाइपशुदा है। इस पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मात्र हस्ताक्षर है। ये अभियोजन स्वीकृति उसके सामने टाइप नहीं हुई, न ही उसके सामने दस्तखत हुए, उसे तो स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

15– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त सी०सी० दिनेश कुमार** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2007 को थाना अलीगंज पर बतौर सी०सी० तैनात रहे थे। उस दिन प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह द्वारा अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट जिसका गैंगलीडर कृपाल सिंह व सदस्य शहजादे, जितेन्द्र, अमर सिंह, रनवीर व कृष्णपाल के गैंगचार्ट के दाखिला के आधार पर अ०सं०–555/2007, धारा 384,504,506 भा0दं0सं0 व अ०सं०–556/2007, धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट बनाम कृपाल सिंह आदि छः नफर की चिक उसके द्वारा गैंगचार्ट में वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर किता की थी, जो उसके लेख हस्ताक्षर में पहले से प्रदर्श क–1 पत्रावली में संलग्न है। कायमी मुकदमा का इन्द्राज रपट संख्या 25 समय 13:30 बजे दिनांक 12.07.2007 को असल के साथ कार्बन लगाकर उसके द्वारा तैयार की गयी, जिसकी कार्बन कॉपी पत्रावली में कागज संख्या 2 संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। असल जी०डी० नष्ट हो गयी। कार्बन को अपने हस्ताक्षर द्वारा सही होना प्रमाणित होना कर रहा है। गैंगस्टर एक्ट के विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

16– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह प्रभारी निरीक्षक बी०पी० सिंह के मातहती में कार्य कर रहा था। कायमी मुकदमा की असल जी०डी० आज उसके सामने नहीं है, केवल कार्बन कॉपी उपलब्ध है। असल जी०डी० सी०ओ० कार्यालय में है, जो वह आज लाया नहीं है। इस मुकदमा में जो अभियुक्तगण है, उनके विरुद्ध केवल चार्ट में दिये गये मुकदमा ही पंजीकृत हुए थे। उसके अलावा कोई मुकदमा इन मुल्जिमान पर लम्बित नहीं है। चार्ट में लम्बित जितने मुकदमें है, वो सभी मुकदमों से सभी अभियुक्तगण न्यायालय से बरी हो चुके है। जब तक वह थाना अलीगंज में तैनात करीब साढ़े तीन वर्ष तक रहा तब तक उसने इन मुल्जिमानों के बारे में धमकी देने व गुंडागर्दी करने के बारे में नहीं सुना। ये लोग साधारण नागरिक थे। यह कहना गलत है कि उसने थाना प्रभारी के प्रभाव में आकर झूंठी तहरीर लिखी है।

17– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–04 रामआसरे** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 22.03.2007 को समय करीब 04:30 बजे शाम अपने पिता रामसरन व रामसागर वारिस्टर सिंह के साथ मोटरसाइकिल से चाचा रामसिंह के साथ अपने गांव फर्दपुरा आ रहे थे। जब हम लोग हरिसिंहपुर मोड नयागांव पर अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र हरसहाय, सहजादे पुत्र बाबूराम, जितेन्द्र पुत्र सहजादे व अमरसिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण नेकराम, कृष्णलाल पुत्र रामसनेही ये सभी लोग उसके गांव के हैं। ये लोग भी मोटरसाइकिलों से नाजायज असलहा लेकर आये और हम लोगों के ऊपर अंधा धुंध फायरिंग करते हुए उसके पिता रामसरन की गोली मारकर हत्या कर दी व रामसागर भी घायल हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट थाना अलीगंज पर अ०सं०–225/2007 धारा 147,148,149,307,302 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण कृपाल सिंह आदि के विरुद्ध लिखाई थी। इस घटना से पूर्व दिनांक 20.05.2006 को उसके साथ अभियुक्तगण अमरसिंह, रनवीर, जितेन्द्र, कृपाल सिंह, कृष्णलाल ये सभी उसके गांव के हैं। नाजायज असलहों से लैश होकर उसे जान से मारने के लिये फायर किये थे, जिससे हम बाल–बाल बच गए थे। फायरों से धुआं उसकी आंखों में घुस गया था, जिसकी रिपोर्ट तुरन्त थाना अलीगंज लिखाने गये थे, जिसके राजनैतिक दबाव में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी व एक वर्ष दो माह बाद जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब उसकी रिपोर्ट थाना अलीगंज पर लिखी गई थी। हम लोगों की प्रधानी वर्ष 2005 से पुरानी रंजिश चली आ रही है। मुल्जिमान आपराधिक व शातिर प्रकृति के हैं। इनका क्षेत्र में काफी डर व आतंक है। उसके पिता के हत्या करने के बाद भी कृपाल आदि अपहरण के मामले में थाना राजा का रामपुर में 1989 में सजा हो गई थी। उसके पिता की हत्या करने के बाद उसे गवाही न देने के लिये धमकाया गया। दोनों मुकदमों में उसका बयान हुआ था। दोनों मुकदमें एटा

के न्यायालय से छूट गये थे, जिनकी अपीलें उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गयी। उसके द्वारा व सरकारी वकीलों ने अपीलें की अपील मंजूर हो गई हैं, जो मुकदमा माननीय उच्च न्यायलय में हत्या वाला मामला विचाराधीन है, जिन–जिन लोगों ने हम पर फायरिंग की है, उनके पास टाटा सूमो लाल रंग की थी, जिस पर वह चिल्लाया तो लोग आ गये तो ये लोग टाटा सूमो से धमकी देते हुए नयागांव की तरफ भाग गये।

18– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें केवल उसके द्वारा लिखाये गये है। अन्य किसी ने मुकदमा नहीं किया। उसके दर्ज मुकदमों से पहले हम लोगों की आपस में रंजिश 2005 से चली आ रही थी। धारा 302 भा०दं०सं० के मुकदमें में उसने अभियुक्तों के विरुद्ध खिलाफ में ही गवाही दी थी। यह कहना सही है कि धारा 302 भा०दं०सं० के मुकदमें में अभियुक्तों को बरी कर दिया था। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें की विवेचना के दौरान दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। दरोगा जी ने उसे थाने पर बुलाया था, तब उसका बयान लिया था। वर्ष 2006 में उसके घर पर अभियुक्तगण ने लूटपाट की थी, लेकिन राजनैतिक दबाव में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। यह बात उसने गैंगस्टर एक्ट में विवेचना कर रहे दरोगा जी को बतायी थी। इन अभियुक्तगण में से केवल कृपाल और कृष्णलाल पर मुकदमा चल रहा है, बाकि अन्य किसी पर नहीं। वह इस सम्बन्ध में कोई कागज दाखिल नहीं कर सकता। गैंगचार्ट में उल्लिखित सभी छः मुल्जिमों का उसके अलावा अन्य किसी से मुकदमा नहीं चल रहा है। वह 2010 से 2015 तक प्रधान रहा है। उसके पिता जी 1995 से सन् 2005 तक प्रधान रहे। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के परिवार व उसके परिवार के मध्य काफी लम्बे समय से प्रधानी की रंजिश चली आ रही है।

19– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–05 रामसिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से 19 वर्ष पूर्व होली के बाद शाम करीब सवा चार बजे की घटना है। वह रामसिंह अपने भाई रामसरन व भतीजे रामआसरे पुत्र रामसरन के साथ उसके गांव के सुरेन्द्र सिंह पुत्र बीरबल व रामसागर पुत्र बालिस्टर एटा से अपने गांव फर्दपुरा मोटरसाइकिलों से जा रहे थे। जब हम लोग हरिसिंहपुर मोड़ के पास पहुंचे। हमारे ही गावं के अमर सिंह, रनवीर पुत्रगण नेकराम, शहजादे पुत्र बाबूराम, जितेन्द्र पुत्र शहजादे, कृपाल पुत्र हरसहाय, किशनपाल पुत्र रामसनेही के हाथों में नाजायज कट्टे थे। हम लोगों के पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हम लोगों को घेर लिया और तमंचों और नाजायज असलहों से ताबड़ तोड़ फायर करने लगे। फायरिंग में उसके भाई रामसरन के गोली लगी और वह मौके पर ही मर गये। रामसरन की मोटरसाइकिल रामसागर चला रहे थे, उनके भी गोली लगी थी और चोटिल हो गये थे। यह घटना उसने, सुरेन्द्र सिंह व रामआसरे ने मौके पर देखी थी। इस घटना की रिपोर्ट रामआसरे ने रिपोर्ट लिखायी थी। ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और पहले से ही इन लोगों पर केस थे। इन लोगों का क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही इन मुल्जिमानों के खिलाफ थाना अलीगंज के द्वारा की गयी थी। गैंगस्टर एक्ट के विवेचक ने उसका बयान लिया था।

20– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि मुकदमा रामआसरे ने लिखवाया था। रामआसरे के पिताजी प्रधान थे, रामआसरे भी काफी लंबे समय से प्रधान हैं। मुल्जिमानों व वादी के बीच पार्टीबंदी लंबे समय से चली आ रही है। जब घटना हुयी थी उस समय रामआसरे प्रधान नहीं था। मुल्जिमानों पर जो भी मुकदमें लगे हैं, वे सभी रामआसरे व उनके पिता व उनके भाई द्वारा ही लिखाये गये। अभियुक्तगण पर लूटपाट का कोई मुकदमा नहीं है, न ही उस समय था। मुल्जिमानो ने गैंग बनाकर अन्य कोई घटना कारित नहीं की थी। मुल्जिमानों के साथ वह भी मुल्जिम रहा है। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। यह कहना भी गलत है कि वादी के कहे अनुसार वह उसके द्वारा लिखायी गयी घटना का समर्थन कर रहा है।

21– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर एक राय मशवरा होकर आयुधो से सज्जित होकर हत्या का प्रयास एवं हत्या जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर

प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–01 लगायत पी०डब्लू०–05 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

22– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमा अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं०, अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अ०सं०–508/2009, धारा 25/27 आयुध अधिनियम, अ०सं०–509/2009 धारा 25/27 आयुध अधिनियम एवं अ०सं०–512/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं और निर्णय की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

23– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

24– इस प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

i– क्या अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है और अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हैं ?

ii– क्या अभियुक्तगण का गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित अपराधों को कारित करने का उद्देश्य समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना था ?

–निष्कर्ष–

25– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित क्रमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

26– वर्तमान मामले में अभियुक्तगण शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर एवं कृष्णलाल के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही मु०अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, थाना अलीगंज, जिला एटा बनाम शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल, मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० बनाम जितेन्द्र, रनवीर सिंह व कृष्णलाल, मु०अ०सं०–509/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम कृष्णलाल, मु०अ०सं०–512/2007, धारा 25/27 आयुध अधिनियम बनाम शहजादे के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ०सं०–556/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर सिंह एवं कृष्णलाल के आधार पर की गयी थी।

27– उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–3(1) के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

i. अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है।

ii. अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।

iii. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(अ)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ब)–अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन०डी०पी०एस० एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा०दं०सं० की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्तगण ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

28– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक वी०पी० सिंह को पी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–1 स्वयं द्वारा जुबानी सूचना के आधार पर पंजीकृत कराना बताया है तथा गैंगचार्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में अपने हस्ताक्षर से साबित किया है।

29– अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंह भाटी को पी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित कराया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में आरोप पत्र को प्रदर्श क–3 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर से साबित करते हुए अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–5 के रूप में एस०एस०पी० सतेन्द्र पाल सिंह के हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–4 में कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा जेल में रहने के दौरान अपने मिलाई करने वालो के द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी देने का कोई जिक्र अपने बयानों में नहीं किया। उसके द्वारा की गयी विवेचना के दौरान गवाह रामआसरे का बयान लिया गया था। इस गवाह ने भी इस बयान में यह बात उसे नहीं बतायी कि मुल्जिमान जेल में रहकर अपने मिलाई

करने वालों द्वारा किसी प्रकार की धमकी देने वाली बात नहीं की। इसके अलावा भी किसी भी बयान देने वाले व्यक्तियों ने धमकी की बात नहीं बतायी।

30– अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक योगेन्द्र सिंह भाटी (पी०डब्लू०–2) के कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किया गया तथा किस प्रकार से समाज में उसका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

31– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त एच०सी० दिनेश कुमार को पी०डब्लू०–03 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर उसके द्वारा एफ०आई०आर० स्वयं द्वारा किता करना बताते हुए प्रदर्श क–1 के रूप मे साबित किया है तथा स्वयं द्वारा जी०डी० रपट नं०–25 को तैयार कर प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया है।

32– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी रामआसरे को पी०डब्लू०–04 के रूप में परीक्षित कराया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित मु०अ०सं०–255/2007 का वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार साक्षी रामसिंह (पी०डब्लू०–05) के द्वारा भी गैंगचार्ट में वर्णित मु०अ०सं०–255/2007 में अभियुक्तगण द्वारा मृतक रामसरन को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में तथ्य प्रकट किये गये हैं और जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण को प्रधानी को लेकर रंजिश थी। मु०अ०सं०–255/2007 में अभियुक्तगण को सत्र परीक्षण संख्या–53/2008 में पारित निर्णय दिनांकित 26–02–2011 के माध्यम से दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी दशा में अभियोजन साक्षीगण रामआसरे (पी०डब्लू०–04) एवं रामसिंह (पी०डब्लू०–05) के द्वारा किये गये कथन से अभियोजन को कोई फायदा प्राप्त नहीं होता है।

33– पत्रावली में अभियोजन साक्षीगण वी०पी० सिंह (पी०डब्लू०–01), योगेन्द्र सिंह भाटी (पी०डब्लू०–02), दिनेश कुमार (पी०डब्लू०–03), रामआसरे (पी०डब्लू०–04) एवं पी०डब्लू०–05 राम सिंह के द्वारा अपने न्यायालययीन कथनों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जिससे समाज में भय व्याप्त रहा हो। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं की गयी है और न ही विवेचक के द्वारा कोई साक्ष्य संकलित करने की चेष्टा की गयी है, जिससे गिरोहबन्द अधिनियम के अपराध प्रमाणित होते हों। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

34– अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षीगण साक्षीगण वी०पी० सिंह (पी०डब्लू०–01), योगेन्द्र सिंह भाटी (पी०डब्लू०–02), दिनेश कुमार (पी०डब्लू०–03), रामआसरे (पी०डब्लू०–04) एवं पी०डब्लू०–05 राम सिंह के न्यायालययीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त की है और भौतिक व आर्थिक रूप से अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित अपराध से कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियाबी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह

के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

35– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में दर्शित मु०अ०सं०–543/2007, धारा 147,307 भा०दं०सं० (आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 117ब/1 लगायत 117ब/7) में पारित निर्णय दिनांकित 24–09–2008, अ०सं०–255/2007, धारा 147,148,149,307,302 भा०दं०सं०, अ०सं०–508/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–509/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम, अ०सं०–512/2007, धारा 25 आयुध अधिनियम (आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 117ब/8 लगायत 117ब/24) में पारित निर्णय दिनांकित 26–02–2011 दाखिल की गयी है। उक्त मामलों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक व वादी को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

36– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए एच सी 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Farhana Vs. State of U.P. (2024 SCC OnLine SC 159) में अवधारित किया गया है कि **"एक बार जब आधारभूत मामला (Base Case) पहले ही निरस्त किया जा चुका हो या अभियुक्त उसमें दोषमुक्त हो चुका हो तो गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेपित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया पोषणीय नहीं है और वह निरस्त किये जाने योग्य है।"** इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

37– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

38– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के पास अपराध से सृजित किसी भी चल एवं अचल सम्पत्ति होने के तथ्य को साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्तगण से लोक व्यवस्था को खतरा था। विवेचना में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण का समाज में भय व्याप्त था और अभियुक्तगण की उपस्थिति से लोक शांति खतरे में थी। गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में उल्लिखित मामला अ०सं०–543/2007, अ०सं०–255/2007, अ०सं०–508/2007, अ०सं०–509/2007, अ०सं०–512/2007 के प्रकरण में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

–आदेश–

अभियुक्तगण **शहजादे, जितेन्द्र, रनवीर** एवं **कृष्णलाल** को **जी०एस०टी० संख्या–280/2008, उ०प्र० राज्य** बनाम **कृपाल सिंह आदि,** मुकदमा **अपराध संख्या–556/2007,** थाना **अलीगंज,** जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–, 20,000/– रूपये (बीस हजार–बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 02–06–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 02–06–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690